

कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, उन्नाव।

पत्रांक:-

/जि0का0अधि0/विज्ञप्ति/2026-27,

दिनांक 21 जुलाई 2026

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिकाओं के चयन सम्बन्धी नवीन शासनादेश संख्या-1/1092245/2025/3313/58-1-2025(1917687) दिनांक 17 सितम्बर 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद उन्नाव में संचालित बाल विकास परियोजना के अर्न्तगत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय पर आधारित 336 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेब साइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:-

क्रम सं०	परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के रिक्त पद			
		SC	OBC	UR	TOTAL
1	2	3	4	5	6
1	असोहा	7	4	14	25
2	औरास	7	7	15	29
3	बांगरमऊ	4	3	9	16
4	बिछिया	8	6	19	33
5	बीघापुर	0	4	9	13
6	एफ-84	4	3	10	17
7	गंजमुरादाबाद	3	2	7	12
8	हसनगंज	1	6	7	14
9	हिलौली	2	4	8	14
10	मियागंज	2	5	8	15
11	नवाबगंज	4	6	14	24
12	पुरवा	1	2	9	12
13	सिकन्दरपुर करन	11	12	23	46
14	सिकन्दरपुर सिरोसी	6	7	12	25
15	सफीपुर	6	3	9	18
16	सुमेरपुर	4	4	8	16
17	उन्नाव शहर	2	2	3	7
योग		72	80	184	336

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/आंगनवाड़ी केन्द्रवार रिक्तियां, आरक्षण एवं अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के विकास भवन, तहसील, विकास खण्ड एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय, के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है, साथ ही विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश निम्नवत् है:-

1. विज्ञप्ति में प्रकाशित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगी।
2. रिक्त पदों (आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री) हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष होगी एवं मेरिट का निर्धारण आवेदकों के इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं परास्नातक से प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।
3. आवेदिका को रिक्त पद के उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) के स्थाई निवासी होना अनिवार्य है, जहाँ से आवेदन किया जा रहा है।
4. आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ तिथि 01 जुलाई 2026 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. आयु के संबंध में हाईस्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
6. विज्ञप्ति में प्रकाशित पदों हेतु विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर केवल ऑनलाइन आवेदन पर फार्म निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र एवं कोई भी अभिलेख किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
7. विज्ञप्ति में प्रकाशित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 11.08.2026 के मध्य रात्रि 12.00 बजे तक ही स्वीकार किये जाएंगे।
8. विज्ञप्ति में प्रकाशित रिक्त पदों की संख्या विशेष परिस्थितियों में घट या बढ़ भी सकती है।

Am



9. उपरोक्त विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन की प्रक्रिया सहित सूचना विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर भी उपलब्ध है, साथ ही अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय, विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, उन्नाव से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
10. यदि आवेदन में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाये जायेंगे तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदिका द्वारा उन अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिसका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किया गया हो।
11. आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3959/1-9-11-राज0-9 दिनांक 30.09.2011(यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो। इस संबंध में भविष्य में यदि राजस्व विभाग द्वारा कोई पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाता है तो नवीन शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
12. गरीबी रेखा की आय के मानक के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26-2-2015 दिनांक 14 सितम्बर 2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।
13. निवास, जाति व आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
14. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदों पर चयन की वरीयता क्रमानुसार निम्नवत् है:-
 - (I) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में विधवा बी0पी0एल0 अभ्यर्थी।
 - (II) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में तलाकशुदा/परित्यक्ता बी0पी0एल0 अभ्यर्थी।
 - (III) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में बी0पी0एल0 अभ्यर्थी।
 - (IV) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में विधवा ए0पी0एल0 अभ्यर्थी।
 - (V) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में तलाकशुदा/परित्यक्ता ए0पी0एल0 अभ्यर्थी।
 - (VI) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में ए0पी0एल0 अभ्यर्थी।
15. तलाकशुदा/परित्यक्ता के संबंध में मा0 सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
16. विधवा अभ्यर्थी हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित प्रति ही मान्य होगी।

/

(अजय कुमार)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
उन्नाव।

पृष्ठांकन सं0 C-719 /तददिनांक। 21/07/26

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, उन्नाव।
4. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, उन्नाव।
5. चयन समिति के सम्मानित सदस्य।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उन्नाव।
7. जिला सूचना अधिकारी, उन्नाव को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को समाचार पत्रों में न्यूनतम स्थान में पठनीय प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
8. सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि बाल विकास परियोजना कार्यालय के साथ ही सम्बन्धित तहसील एवं विकास खण्ड कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरखा करवाना सुनिश्चित करें तथा साथ ही सम्बन्धित ग्रामसभा/वार्ड के रिक्त पदों की जानकारी ग्राम प्रधान/सभासद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. जनपद कार्यालय के सूचना पट पर चरखा हेतु।

AM

जिला कार्यक्रम अधिकारी
उन्नाव।